उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-13/2018/133/37-1-2018-2(60)/2001टी0सी0-1

लखनऊ: दिनॉक 19 जनवरी, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के अनुसार 01-12-2008 से पूर्व 08 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित तिथि से रू0 3000-4500 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 10000-325-15200 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 6600/-) समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	अधिकारी का नाम	ज्ये0 क्र0	तदर्थ नियुक्ति की तिथि	विभाग में मौलिक नियुक्ति/ विनियमिती करण की तिथि	08 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने की तिथि	समयमान वेतनमान अनुमन्यता की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	डा0 योगेन्द्र पाल सिंह से0नि0	477 (2009)	14-02-77	09-11-87	01-01-94	01-01-94
2	डा0 अशोक कुमार दौनेरिया	645	-	21-02-90	21-02-98	21-02-98
3	डा0 राकेश कुमार	1157	-	09-06-98	09-06-06	09-06-06
4	डा0 अनिल कुमार	1348	-	01-07-98	01-07-06	01-07-06

2- कृपया संबंधित शासनादेश के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सत्येन्द्र कुमार सिंह

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

संख्या-13/2018/133(1)/37-37-1-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2 द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://Shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।